न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—437/2019/225 (2019/00437)

1. देवा पुत्र भैरू, जाति गुर्जर, निवासी पड़ासौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व0 नारायण, जाति गुर्जर, निवासी छापरी, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
2. गोपीराम पुत्र स्व0 नारायण, जाति गुर्जर, निवासी छापरी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।
3. नन्दू पुत्री स्व0 नारायण, जाति गुर्जर, निवासी छापरी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।
4. मीरा पुत्री स्व0 नारायण, जाति गुंर्जर, निवासी छापरी, तहसील फुलेरा, जयपुर ।
5. सब रजिस्ट्रार, दूदू, जिला जयपुर ।
6. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 13.11.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 31/2018.

उपस्थितः—

1. श्री सुण्डाराम जाट, वकील अपीलांट ।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 3 व 4 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5 व 6.

निर्णय

दिनांकः— 22.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेश दिनांक 13.11.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के आराजी खाता संख्या 156 के आराजी खसरा नंबर 1450 रकबा 0.9900 है0 वाके ग्राम पडासोली तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है जिसके साबिक खसरा नंबर 1315/2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा थे जो वर्तमान में प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसका प्रार्थी एकमात्र काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है । उक्त आराजियात सिवायचक थी जिस पर प्रार्थी का कब्जा था इस कारण से प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत तहसीलदार द्वारा नोटिस भी दिया गया तत्पश्चात् प्रार्थी को भूमिहीन होने से राज्य सरकार की मंशा अनुसार अलोटमेंट कमेटी द्वारा नियमानुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अलॉट की तथा दिनांक 1.2.1967 को प्रार्थी का लगातार 10 वर्षो से कब्जा मानकर गैर खातेदारी का नामांतकरण प्रार्थी के हक में स्वीकार किया गया जिसमें बरवक्त अलोटमेंट राजस्व कारकुनानो द्वारा सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम भैरू के बजाय बोलने वाला नाम छीतर दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का दस्तावेज अनुसार नाम भैरू है तथा साधारण बोलचाल की भाषा में प्रार्थी के पिता को छीतर पुकारा जाता था। इस प्रकार दोनों ही नाम प्रार्थी के पिता के है । इसलिये प्रार्थी को उक्त आराजियात अलोट होते समय प्रार्थी के पिता की वल्दियत छीतर दर्ज कर दी गई जबकि दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी के पिता की वल्दियत भैरू दर्ज होनी चाहिये थी । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ग्राम छापरी तहसील फुलेरा के रहने वाले है जिनके पिता का नाम नारायण पुत्र छीतर है, के स्वर्गवास के पश्चात् उसके वासिरान अप्रार्थीगण ने नारायण पुत्र छीतर के नाम से एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया था परन्तु भू–माफियाओं के बहकावें में आकर प्रार्थी की उक्त आराजियात को हड़पने के लिए कुटरचना कर नारायण उर्फ देवा पुत्र छीतर के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया और दिनांक 30.3.2005 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मौजमाबाद को पेश किया जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थी ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश कर सही तथ्यों की जानकारी दी जिसकी जांच तत्कालीन नायब तहसीलदार, दूदू द्वारा की गई जिन्होंने अपनी जांच में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा अपने पिता के नाम से कुटरचना करते हुए दो मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेने से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 से दोनों मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर दिनांक 7.7.2005 को अपने कार्यालय में बुलाया जहां पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपनी गलती मानकर नायब तहसीलदार से माफी मांग ली और कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया जिस पर नायब तहसीलदार ने कार्यवाही ड्रोप कर दी । अब पुनः अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने राजस्व कारकुनानो से साज कर उक्त विवादित आराजियात को हड़पने के लिए उक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर तथाकथित देवा बनाकर उसके वारिस बनकर विरासत का नामांतकरण खुलवाने हेतु चाराजोही कर रहे है जबकि विवादित आराजियात से अप्रार्थीगण को संबंध सरोकार कभी भी नहीं रहा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र के वर्णित मद नंबर 2 में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत न स्वंय करे न ही अपने मातहत से करावे तथा न ही विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल करे, न फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर विवादित आराजियात का नामांतकरण खुलवाये न दीकर व्यक्तियों को रहन, बेय, मुन्तकिल करे न हस्तातंरण करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब व काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 13.11.2019 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थीगण का काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल राजस्व वाद में वादी के पिता का नाम देवा पुत्र छीतर के बजाय देवा पुत्र भैरू दर्ज कर खातेदार घोषित किये जाने हेतु तथा वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने

हेतु प्रस्तुत किया है । इस संबंध में वादी की ओर से अधी0न्याया0 के समक्ष आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये थे जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम भैरू दर्ज है । इससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में देवा पुत्र छीतर के नाम से जो इंद्राज किया गया है वह प्रार्थी/अपीलांट के पुकारे जाने वाले नाम से राजस्व कर्मचारियों की गलती एवं भूल से दर्ज किया गया है जो दुरूस्त कर प्रार्थी के पिता का नाम देवा पुत्र भैरू किया जाना उचित था । विवादित भूमि सिवायचक भूमि थी जिस पर प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा प्रारंभ से ही चला आ रहा है । इस आधार पर प्रार्थी को तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी मानते हुए नोटिस अंतर्गत धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत दिनांक 7.5.1962 को दिया गया था । इसके पश्चात् प्रार्थी को भूमिहीन काश्तकार होने से राज्य सरकार की मंशा अनुसार अलोटमेंट कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया था तथा दिनांक 1.2.1967 को प्रार्थी का लगातार 10 वर्षा से कब्जा काश्त मानकर गैर खातेदारी का नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया । इसके पश्चात् प्रार्थी/अपीलांट को नियमानुसार खातेदारी प्रदान की गई । राजस्व कर्मचारियों की गलती एवं भूल से सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम भैरू के बजाय बोलने वाला अथवा पुकारे जाने वाला नाम छीतर दर्ज कर दिया जबकि समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम भैरू है । कार्यालय ग्राम पंचायत पडासौली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.10.2019' के अनुसार प्रार्थी देवा पुत्र भैरू ग्राम पडासौली तहसील दूदू जिला जयपुर का निवासी है तथा अपीलंट के पिता भैरू को बोलचाल की भाषा में छीतर भी कहा जाता था । इस प्रकार देवा पुत्र भैरू व देवा पुत्र छीतर दोनों एक ही व्यक्ति है। इस आधार पर अपीलांट का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना प़ स्वीकार किया जाना उचित एवं आवश्यक था । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि पर आवंटन के पश्चात् से निरन्तर कब्जे काश्त के संबधं में दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किये थे इसके बावजूद स्थगन आदेश जारी नहीं करने में भारी भूल की है । अप्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष काउन्टर टी0आई के साथ ऐसा कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे अपीलांट चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हो । अधी0न्याया0 को मूल वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति का अनुतोष प्रदान करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर विवादित आराजियात के संबंध में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 809, सुप्रीम कोर्ट केसेज 2010 पेज 689, के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि से अपीलांट का कोई संबधं सरोकार नहीं है । वादग्रस्त भूमि पूर्व में अप्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 नारायण उर्फ देवा पुत्र छीतर के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी तथा उनके देहांत के पश्चात् अप्रार्थीगण भूमि के एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार है । विवादित भूमि पर अपीलांट एवं उसके पूर्वजों का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । धारा 91 का नोटिस रेस्पो0 के पिता नारायण उर्फ देवा को दिया गया था तथा भूमिहीन होने के कारण नारायण उर्फ देवा को ही अलोट की गई थी । गैर खातेदारी का नामांतकरण भी रेस्पो0 के पिता नारायण उर्फ देवा के हक में तस्दीक किया गया था । अपीलांट का यह कथन गलत है कि

सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम भैरू के बजाय बोलने वाला नाम छीतर दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविकता में भैरू व छीतर दोनों अलग–अलग व्यक्ति है । स्व0 पटेल सेवा के दो पुत्र थे जिनमें एक का नाम मंगला व दूसरे का नाम छोटू था । मंगला के छीतर पैदा हुआ व छोटू के भैरू व सुखा पैदा हुए तथा भैरू के तीन पुत्र देवा, हरजी, लक्ष्मण का जन्म हुआ जिसमें प्रार्थी स्वंय देवा पुत्र भैरू है तथा छीतर व उसकी पत्नी की जानिब से दो पुत्र नारायण उर्फ देवा व नानूराम का जन्म हुआ । नारायण उर्फ देवा का का दिनांक 7.5.200 को देहांत हो गया जिसके अप्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान है । अपीलांट ने अप्रार्थीगकण की भूमि हड़पने के लिए झूंठे व मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । वास्तव में प्रार्थी देवा पुत्र भैरू है उसके समस्त दस्तावेजात में देवा पुत्र भैरू ही अंकित है । रेस्पो0 के पिता/पति का नाम नारायण उर्फ देवा पुत्र छीतर है । रेस्पो0 ने कभी भी किसी दस्तावेज की कोई कूटरचना कारित नहीं की है बल्कि वास्तविक रूप से तथ्य अंकित करवाते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया है । तहसीलदार के समक्ष विरासत का नामांतकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन अपीलांट ग्राम पडासौली का प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके प्रभाव में आकर ग्राम पंचायत के सरपंच व हल्का पटवारी ने रेस्पो0 के हक में नामांकरण तस्दीक नहीं होने दिया । प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन नहीं होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2020 (27) पेज 62, आर0बी0जे0 1997 पेज 621, आर0बी0जे0 1999 पेज 426, आर0आर0टी0 2003 पेज 1282, आर0आर0डी0 2003 पेज 533, आर0आर0डी0 1993 पेज 206, आर0आर0डी0 2001 पेज 1374, आर0आर0टी0 2006 पार्ट–1 पेज 623 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी ने वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलांट को आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटित की गई तथा गैर खातेदारी का नामांतकरण प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में स्वीकार किया किन्तु सहवन से प्रार्थी की वल्दियत भैरू के बजाय छीतर दर्ज कर दी गई जबकि प्रार्थी के पिता का नाम भैरू है तथा साधारण बोलचाल की भाषा में प्रार्थी के पिता को छीतर पुकारा जाता है । इसके विपरीत अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात के रेस्पो0 क पिता/पति नारायण उर्फ देवा पुत्र छीतर काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा राजस्व रिकार्ड में आज भी उनका नाम है । वादग्रस्त भूमि पूर्व में सिवायचक थी जिस पर रेस्पो0 के पिता/पति नारायण उर्फ देवा काबिज रहकर काश्त करते थे तथा भूमिहीन होने के कारण अलोटमेंट कमेटी ने स्व0 नारायण उर्फ देवा को अलोट की थी । अपीलांट भैरू का पुत्र है । अपीलांट ने अपने पिता की वल्दियत देवा पुत्र भैरू उर्फ छीतर होना अंकित कर अप्रार्थीगण को पाबंद करने का निवेदन किया है । इसी प्रकार अप्रार्थीगण/काउन्टर क्लेमकर्ता ने स्वंय को नारायण उर्फ देवा के विधिक वारिसान बताकर विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट/वादी को पाबंद कराने का निवेदन किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण/अपीलांट एवं अप्रार्थीगण/काउन्टर क्लेमकर्ता के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु तब

तक वाद के विषयवस्तु को सुरक्षित रखने हेतु उभयपक्ष को वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित समझते है ताकि पक्षकारानों के मध्य ओर अधिक वाद बाहुल्यता नहीं बढ़ें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.1.2019 निरस्त किया जाता है तथा उभयपक्ष को वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर